

क्रम सं.	भूमि का विवरण	किराए की दर/लाइसेंस शुल्क प्रति 100 वर्ग मी. प्रतिशत प्रति माह
a	एक आवासीय क्षेत्र	1250
b	औद्योगिक क्षेत्र	
c (i)	डॉक आंतरिक (इनसाइड कस्टम बाउंडेड एरिया) (बेयर लैंड)	
(ii)	डॉक आंतरिक (इनसाइड कस्टम बाउंडेड एरिया) (बेयर लैंड)	
(iii)	प्रस्तावित डॉक आंतरिक क्षेत्र	
d	डॉक जोन	
e	कार्यालयों, बैंकों, कार्यशालाएं, मरम्मत की दुकानों,	
F	(ऑटोमोबाइल को छोड़कर), कोल्ड स्टोरेज, आदि के लिए वाणिज्यिक जोन	
g	दुकानों, बाजार, नर्सिंग होम, चिकित्सा क्लीनिक,	
h	होटल और रेस्टोरेंट (बिना बार के), सर्विस स्टेशनों, मरम्मत की दुकानें (ऑटोमोबाइल), वेब्रिज आदि के लिए वाणिज्यिक क्षेत्र	
l	सिनेमा घर, होटल और रेस्तरां (बार सहित) के लिए वाणिज्यिक क्षेत्र	

II. भवन

क्रम सं.	क्षेत्र, स्थान और अन्य विवरण	किराए की दर/लाइसेंस शुल्क प्रति 100 वर्ग मी. प्रतिशत प्रति माह
a	पक्के छत वाले संरचना	1250
(i)	आवासीय क्षेत्र	
(ii)	औद्योगिक क्षेत्र	

(iii)	डॉक आंतरिक क्षेत्र	
(iv)	डॉक क्षेत्र	
b	एसी/सीआई छतदार संरचना	
(i)	आवासीय क्षेत्र	
(ii)	औद्योगिक क्षेत्र	
(iii)	डॉक आंतरिक क्षेत्र	
(iv)	डॉक क्षेत्र	
c	टॉवर बिल्डिंग	
d	क्वार्टर्स/शयनकक्ष	
(i)	शयनकक्ष (पक्के छतदार)	
(ii)	ए टाइप क्वार्टर	
(iii)	संशोधित ए टाइप क्वार्टर	
(iv)	बी टाइप क्वार्टर	
(v)	संशोधित बी टाइप क्वार्टर	
(vi)	सी टाइप क्वार्टर	
(vii)	डी टाइप क्वार्टर	
(viii)	अधिकारी हास्टल	
(ix)	जवाहर टॉवर	
e	विनाशशील सामान के लिए बाजार	
f	खुदरा बाजार	
g	दुर्गाचैक पर खरीदारी केन्द्र	
h	चिरंजीबपुर पर खरीदारी केन्द्र	
i	माखन बाबू बाजार के सामने टाउनशिप बाजार	
j	टाउनशिप विपणन केन्द्र (हैलीपैड मैदान के पास) 54	
k	गूमटीज	

III. अन्य

क्रम	विवरण	रु. में दर
------	-------	------------

सं.		
1.	अनुमति शुल्क	
	(तत्संबंधी प्रति दिन या भाग लगाया जा सकता है)	
	(प) 40 वर्ग मीटर तक कब्जे क्षेत्र के लिए भूमि पर होल्डिंग कार्य के लिए	
	(पप) यदि उपरोक्त कब्जा 3 दिन से अधिक जारी रहता है।	
	(प) 40 वर्ग मीटर से अधिक कब्जे क्षेत्र के लिए भूमि पर होल्डिंग कार्य के लिए	
	(पप) यदि उपरोक्त कब्जा 3 दिन से अधिक जारी रहता है।	
2.	केओपीटी तालाबों/जल निकायों में मछली पालन के अधिकारों के लिए लाइसेंस शुल्क की दर (प्रति 100 वर्ग मीटर प्रति माह)	
3.	केओपीटी भूमि पर होर्डिंग के निर्माण के लिए लाइसेंस शुल्क की दर:	
	(तत्संबंधी प्रति वर्ष या भाग लगाया जा सकता है)	
	10 वर्ग मी के अधिकतम आकार तक के होर्डिंग के लिए	
	10 वर्ग मी से अधिक आकार के होर्डिंग के लिए	
4.	वे-लिव लाइसेंस	
(i)	वे-लिव लाइसेंस टेलीफोन लाइन, पानी की आपूर्ति लाइनों, सीवरेज लाइनों, एक पोल पर चल रही कम वोल्टेज घरेलू इलैक्ट्रिक लाइनों जैसी आवश्यक उपयोगिता सेवा लाइनों के लिए लिया जाएगा। (तत्संबंधी प्रति वर्ष या भाग लगाया जा सकता है)	
(ii)	कच्चे तेल, पीओएल उत्पाद और अन्य तरल कार्गो ऊपर या जमीन के नीचे ले जाने वाली पाइप लाइनें	

	बिछाने के लिए, वे-लिव निम्न अनुसार लिया जाएगा:-	
5.	<p>वे-लिव शुल्क के उद्देश्य के लिए, एकल पाइपलाइंस द्वारा अधिग्रहत क्षेत्र उन पाइपलाइंसों की व्यास और लंबाई के आधार पर गणना की जाएगी। बहु-परतीय पाइपलाइन स्टेक्स के मामले में, बहु-परतीय पाइपलाइन स्टेक्स द्वारा अधिकृत भौतिक क्षेत्र, उस क्षेत्र से गुजरने वाली उन पाइपलाइंसों की व्यास और लंबाई के आधार पर प्रो-राटा क्षेत्र के लिए संबंधित उपयोगकर्ता बिल किया जाना चाहिए और माना जाएगा। सड़क, रेल, घाटों, आदि के साथ साझा क्षेत्र के संबंध में, संबंधित उपयोगकर्ता अनुमानित क्षेत्र जिनका उनके पास भूमि के कब्जे पर अधिकार नहीं है और उनके पास केवल 'राइट ऑफ वे' का अधिकार है संबंधित का 50 प्रतिशत के लिए प्रो-राटा बिल किया जाएगा। जहां तक भूमिगत पाइपों का संबंध है यदि उपयोगकर्ता स्थापित करता है कि उपरोक्त भूमिगत क्राॅस-कंट्री पाइपलाइंस आधार क्षेत्र का कब्जा उनके साथ जुड़ा नहीं है, ऐसी पाइपलाइंस द्वारा अधिग्रहत क्षेत्र वे-लीव शुल्क के चंदे के उद्देश्य के लिए व्यास और लंबाई के उत्पाद के 50 प्रतिशत गिना जाएगा। ऊपरी वाहकों और हाई वालटेज ट्रांसमिशन लाइन और टावर की अनुमति के लिए, वे-लीव लाइसेंस शुल्क संरचना के संरेखण में आने वाले क्षेत्र के लिए निर्धारित किराए के आधार पर लिया जाएगा।</p>	
	दूर्गाचक मिनी बाजार के लिए, लाइसेंस शुल्क (प्रति माह प्रति माप लगभग 13.936 वर्ग मीटर	
7.		
	विभिन्न केओपीटी बाजार में हाकर शुल्क की	

	रिकवरी (प्रति दिन प्रति हाकर)	
	आयाम/निर्यात माल के भंडारण के लिए डाक आंतरिक क्षेत्र के अंदर खुले/कवर स्थान के लाइसेंस के लिए, लाइसेंस शुल्क प्रति 100 वर्ग मी. प्रति माह निम्न दरों पर लिया जाएगा।	
	खुला स्थान	
	खाली भूमि	
	हार्डस्टैंड भूमि	
	कवर क्षेत्र	

IV. नोट

(क) भूमि/भवन के आवंटन के लिए (आयात/निर्यात कार्गो के भंडारण के लिए डाक आंतरिक क्षेत्र के भीतर भूमि/भवन के लाइसेंस के अलावा अन्य)

I. लीज:

भूमि/भवन की लीज निम्न मामलों को छोड़कर निविदा आमंत्रण द्वारा प्रदान की जाएगी:-

1. विभिन्न केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों, केन्द्र/राज्य सरकार के उद्यमों, केंद्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आवंटन। ऐसे मामलों में, भूमि/भवन निविदा प्रक्रिया के बिना प्रचलित एसओआर के अनुसार लीज पर हो सकती है। हालांकि, इस तरह के आवंटन उक्त संगठनों के अनन्य उपयोग के लिए किया जाएगा और न कि निजी पक्षों के साथ उनके द्वारा किसी संयुक्त उद्यम के लिए।
2. लीज 30 (तीस) से अधिक की अवधि के लिए नहीं दी जाएगी।
3. निविदा प्रक्रिया के माध्यम से दिए गए पट्टों के मामले में, लीज किराया/ अपफ्रंट प्रीमियम की स्वीकृत निविदा दर लागू होगी।
4. मौजूदा पट्टों की किराए की दर, किराए का संशोधन आदि संबंधित पट्टों की संविदाओं और शर्तों द्वारा तय की जाएंगी।

5. उसी के लिए विकल्प रखते हुए मौजूदा पट्टों का नवीनीकरण संबंधित पट्टा समझौते की संविदाओं और शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

6. मौजूदा लंबी अवधि के मामले में अवधि की समाप्ति के बाद नए सिरे से लीज आने पर और जहां लीज अनुबंध में कोई नवीनीकरण विकल्प प्रदान नहीं किया है, पोर्ट को बताना होगा यदि भूमि उसके अपने स्वयं के लिए आवश्यक है। यदि पोर्ट को स्वयं अपने प्रयोग के लिए भूमि की आवश्यकता नहीं है, तब पोर्ट को बताना चाहिए चाहे भूमि उद्देश्य के लिए आवश्यक है जिसे यह मूल रूप से दी गई है या भूमि प्रयोग योजना के साथ सुसंगत किसी अन्य उद्देश्य के लिए दी गई है। यदि यह बहुत आवश्यक है पोर्ट इसके अधिकार में, निम्न दरों पर सार्वजनिक नीलामी या निविदा प्रक्रिया के बिना बोर्ड द्वारा स्वीकृत किए जाने के मामले में मौजूदा लीज के पक्ष में 30 (तीस) की अवधि से अधिक नहीं के लिए नई लीज देने का निर्णय ले सकता है।

(i) लीज किराए के आधार पर नए सिरे से लीज के लिए प्रचलित किराया की अनुसूची (एसओआर) या 2 प्रतिशत ठेकेदार द्वारा बढ़ाए गए अंतिम देय दर या पिछले तीन साल में उसी क्षेत्र में समान लेन-देन के लिए स्वीकार की गई प्राप्त निविदा दर, जो भी अधिक होए के अनुसार लीज किराया। इसके अलावा, प्रचलित किराया की अनुसूची (एसओआर) के अनुसार एक एक वर्ष के किराए के बराबर प्रीमियम पोर्ट द्वारा वसूल किया जाएगा। लागू प्रतिभूति जमा भी देय होगा। लीज किराया उत्तर दिनांकित चैक के रूप में अग्रिम में भुगतान करना होगा।

(ii) अग्रिम आधार पर नए सिरे से लीज के लिए अग्रिम प्रीमियम की गणना प्रचलित किराया की अनुसूची (एसओआर) के अनुसार लीज किराया या 2 प्रतिशत ठेकेदार द्वारा बढ़ाए गए अंतिम देय दर या पिछले तीन साल में उसी क्षेत्र में समान लेन-देन के लिए स्वीकार की गई प्राप्त निविदा दर, जो भी अधिक हो, के आधार पर की जाएगी। इसके अलावा, प्रचलित किराया की अनुसूची (एसओआर) के अनुसार एक एक वर्ष के किराए के बराबर प्रीमियम पोर्ट द्वारा वसूल किया जाएगा।

7. मौजूदा और भविष्य की नए सभी पट्टों के मामले में, सबलेटिंग (पूर्ण या आंशिक) केंद्रीय सरकार द्वारा जारी प्रचलित भूमि नीति दिशा-निर्देशों के आधार पर माना जाएगा और यदि सबलेटिंग की अनुमति है, तो आवश्यक शुल्कों की रिकवरी पर किया जाएगा।

8. निम्नलिखित मामलों को उत्परिवर्तन और ऐसे उत्परिवर्तन की अनुमति के रूप में माना जाएगा, 12 महीने के किराया के 5 प्रतिशत के बराबर शुल्क या रु. 10,000/- जो भी अधिक है, वसूला जाएगा:

- (i) पट्टेदार की मृत्यु, कानूनी वारिस या कानूनी उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि के स्थानांतरण के मामले में।
- (ii) कंपनी रजिस्ट्रार के अनुसार निगमन के नए प्रमाण पत्र के अनुसार कोर्ट के आदेश के लिए परिणामी स्थानांतरण।
- (iii) दिवालियेपन या परिसमापन के नियमों का विषय बनने पर पट्टेदार को परिणामी स्थानांतरण।
- (iv) वृद्धावस्था, दुर्बलता या कुछ अन्य वैध कारणों से कानूनी वारिसों में से किसी का अनावश्यक स्थानांतरण
- (v) एक सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सरकारी कंपनी से किसी भी अन्य सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सरकारी कंपनी में स्थानांतरण।

9. पट्टे पर जमीन के उपयोग के परिवर्तन में भूमि प्रयोग योजना के साथ सहमति से किए जाने वाले परिवर्तन के मामले में अनुमति दी जा सकती है और प्रचलित किराए की अनुसूची में मौजूद अनुसार नए प्रयोग के लिए अधिकतम दर के भुगतान का विषय होगा।

10. अग्रिम आधार पर आवंटन के मामले में अग्रिम प्रीमियम की 8 प्रतिशत अनुसार लीज लेने की छूट दर की पूरी अवधि के लिए लीज किरायों के वर्तमान मूल्य के आरधार पर गणना की जाएगी

अग्रिम आधार पर भूमि के पट्टे के मामले में, रु. 1/- प्रति कैलेंडर या उसके भाग प्रति वार्षिक किराया के रूप में वसूल किया जाएगा।

II. लाइसेंस:

1. भूमि/भवन का लाइसेंस प्रचलित किराए की अनुसूची (एसओआर) के अनुसार 11 महीने की अधिकतम अवधि के लिए दिया जा सकता है। केओपीटी के अधिकार में ऐसे लाइसेंस निविदा आमंत्रित किए बिना दिए जा सकते हैं।
2. भावी लाइसेंसों के मामलों में लाइसेंस शुल्क की दर उसी अनुसार स्वचालित रूप से बढ़ जाएगी, जब III(9) के अनुसार किराए की अनुसूची (एसओआर) के ऊपर ओर की संशोधित किया जाएगी।

3. मौजूदा लाइसेंस के मामले में यदि लाइसेंस शुल्क की निर्धारित दर मौजूदा दर द्वारा चुकाए जा गए लाइसेंस शुल्क से अधिक है, लाइसेंस शुल्क की निर्धारित दर सीधे रूप से लागू हो जाएगी।

इसके अलावा, लाइसेंस शुल्क की दर उसी अनुसार स्वचालित रूप से बढ़ जाएगी, जब III(9) के अनुसार किराए की अनुसूची (एसओआर) के ऊपर ओर की संशोधित किया जाएगी।

III. अन्य शर्तें:

1. लाइसेंस शुल्क/किराए के अलावा, पट्टेदारों/लाइसेंसधारियों को निम्न का भुगतान करने की आवश्यकता होगी:-

(i) लागू अनुसार नगर निगम कर आदि

(ii) ऊपरी खर्चों के अनुसार वास्तविक राशि पर वास्तविक प्लस 19.25% पर बिजली शुल्क/जल प्रभार, यदि

बिजली/पानी की केओपीटी सूत्रों से आपूर्ति की जाती है।

2. पट्टेदारों/लाइसेंसधारियों को सभी वर्तमान और भविष्य की दरें, सर्विस टैक्स, शिक्षा उपकर, करों, शुल्कों, शुल्क, आकलन, व्यय और किसी भी जोखिम के खिलाफ बीमा की नीति के संबंध में प्रीमियम जो भी हो चुकाने और भुगतान करने की भी आवश्यकता होगी जो अब या इसके बाद किसी भी समय पर हो सकता है आकलित, वसूला और लगाया जाएगा या पट्टान्तरित भूमि और/ या किसी भी कारखाने और/या इमारत या संरचना के संबंध में उस पर उस पर पट्टेदारों/लाइसेंसधारियों या पट्टान्तरित भूमि के संबंध में नगर निगम के करों के मालिकों की हिस्सेदारी को छोड़कर उसके संबंध में स्वामियों या पदाधिकारी द्वारा लगाया गया हो।

3. प्रतिभूति जमा निम्न अनुसार वसूल किया जाएगा:-

(i) अग्रिम आधार पर पट्टे के मामले में कोई प्रतिभूति जमा नहीं वसूला जाएगा।

(ii) लीज किराए के आधार पर पट्टे के मामले में, 5 साल के किराए या कुल लीज किराए के किराए का 25 प्रतिशत जो भी कम हो, ब्याज रहित वहन प्रतिभूति जमा रूप में रखा जाएगा।

प्रतिभूति जमा लीज/लाइसेंस अवधि की पूरा होने के बाद वापसीयोग्य है (बिना किसी ब्याज के) देय/नुकसान के समायोजन का विषय है।

(iii) लाइसेंस आधार पर आवंटन के मामले में ब्याज रहित वहन प्रतिभूति जमा 11 माह के लाइसेंस शुल्क के बराबर होगा। यदि लाइसेंस की अवधि 11 माह से कम है तो ब्याज

रहित वहन प्रतिभूति जमा दिए गए लाइसेंस की अवधि के लिए लाइसेंस शुल्क के बराबर होगा। प्रतिभूति जमा लीज/लाइसेंस अवधि की पूरा होने के बाद वापसीयोग्य है (बिना किसी ब्याज के) देय/नुकसान के समायोजन का विषय है।

4. प्रचलित किराया की अनुसूची (एसओआर) अनुसार किराए/लाइसेंस शुल्क के संबंधित जोनल दर 3 गुना अन्य उचित कार्रवाई किए गए बिना अतिक्रमण के पहले माह के लिए केओपीटी की भूमि/भवन के अतिक्रमण के लिए वसूला जाएगा। अतिक्रमण के अगले दो महीनों के लिए, नुकसान प्रचलित किराया अनुसूची (एसओआर) के अनुसार किराया/लाइसेंस की संबंधित जोनल दर से 5 गुना हो वसूला जाएगा और इसके बाद भी अतिक्रमण जारी रहता है तो नुकसान अतिक्रमण क्षेत्र के लिए प्रचलित किराया अनुसूची (एसओआर) के अनुसार किराया/लाइसेंस की संबंधित जोनल दर से 10 गुना हो वसूला जाएगा।

5. लीज/लाइसेंस की समय समाप्ति/समाप्ति/निर्धारण या लीज/लाइसेंस की जब्ती में, यदि पट्टेदार/लाइसेंसधारी अनधिकृत तरीके से परिसर पर कब्जा जारी रखता है, पट्टेदार या लाइसेंसधारी खाली जगह प्राप्त होने तक संबंधित परिसर के लिए किराया/लाइसेंस शुल्क की प्रचलित अनुसूचित दर का 3 गुना परिसर के गलत प्रयोग और व्यवसाय के लिए जुर्माना भरने का उत्तरदायी होगा। हालांकि, 2004 की भूमि नीति दिशा-निर्देश के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि से पूर्व संबंधित पक्षों के साथ पोर्ट द्वारा प्रवेश होने पर लीज अनुबंधों से उत्पन्न मौजूदा पट्टों/लाइसेंस के मामले में, पूर्व लीज/लाइसेंस की संविदाओं के अनुसार जुर्माना वसूला जाएगा।

6.(i) लीज किराए के आधार पर भूमि/भवन की भावी लीज के मामले में, वार्षिक किराया उत्तर दैनान्तिक चैक के रूप में अग्रिम में वसूल किया जाएगा। हालांकि, नई किराया अनुसूची के संशोधन के कारण किराए में किसी प्रकार की बढ़ोतरी इत्यादि, पूरक राशि लाइसेंसधारी द्वारा जमा कराए जाने की आवश्यकता है जिसकी आवश्यक सूचना दी जाएगी।

(ii) किराए/लाइसेंस शुल्क चाहे मांग हो या नहीं, प्रत्येक महीने के 15 दिन में या उससे पहले लाइसेंसधारी/पट्टेदारों द्वारा चुकाया जाएगा जिसका किराया/लाइसेंस शुल्क इत्यादि देय है।

(iii) वे लीव लाइसेंस के मामले में वे-लीव लाइसेंस शुल्क, चाहे मांग हो या नहीं, प्रत्येक महीने के 15 दिन में या उससे पहले लाइसेंसधारी/पट्टेदारों द्वारा चुकाया जाएगा जिसका किराया/लाइसेंस शुल्क इत्यादि देय है।

(iv) किसी अन्य देय राशि का भुगतान की सूचना की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर पट्टेदार/लाइसेंसधारी द्वारा किया जाएगा।

7. ऊपर निर्दिष्ट भुगतान की देय तिथि से एक माह के भीतर किराए/लाइसेंस शुल्क/मुआवजा और अन्य बकाया राशि के भुगतान में चूक के मामले में एक महीने सेए ब्याज @14.25% भुगतान की देय तिथि से बकाया देय राशि पर लगाया जाएगा।

8. एसओआर में दी गई सभी दरें संशोधित किराए अनुसूची के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि से एक वर्ष की समाप्ति के बाद 2 प्रतिशत प्रति वर्ष से स्वयं बढ़ जाएंगी और बढ़ी दरें संबंधित वर्ष के लिए प्रचलित अनुसूची किराए के अनुसार मानी जाएंगी। किराया अनुसूची प्रत्येक पांच वर्षों में संशोधन का विषय होगा।

(बी) निर्यात/आयात कार्गो के भंडारण के लिए डॉक आंतरिक क्षेत्र के अंदर भूमि/कवर स्थान के लाइसेंस के लिए:-

आयात/निर्यात कार्गो के भंडारण के लिए डॉक आंतरिक क्षेत्र के अंदर भूमि/कवर स्थान का लाइसेंस

निम्न शर्तों और स्थितियों के तहत प्रक्रिया निविदा के लिए सहारा के बिना किया जा सकता है:-

1. लाइसेंस 11 महीने की अधिकतम अवधि तक किया जाएगा। लाइसेंस की अवधि केओपीटी के अधिकार में नए सिरे से किया जा सकता है। यदि लाइसेंसधारी को लाइसेंस के नवीकरण की आवश्यकता है,

नवीकरण के लिए आवेदन निर्धारित प्रारूप के अनुसार अग्रिम में केओपीटी के संबंधित अधिकारी के लिए बनाया जाना चाहिए।

2. लाइसेंसधारी जिस उद्देश्य के लिए लाइसेंस है के लिए आवंटित भूमि/कवर जगह का उपयोग करेगा। उपयोग के उद्देश्य में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। आवंटित स्थान सबलेटिंग/सौंपी/हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

3. लाइसेंस दोनों तरफ 7 दिन की सूचना पर समापनीय है। लाइसेंस की समाप्ति के लिए किसी मुआवजा जो भी के लिए किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. लाइसेंसधारी समय-समय पा केओपीटी द्वारा जारी किए गए सभी नियमों और निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत होगा। यदि लाइसेंसधारी इस तरह के नियम या निर्देश का अनुपालन करने की अनदेखी करता हैए पोर्ट लाइसेंस को रद्द कर सकता है।

5. लाइसेंसधारी समय-समय पर डॉक सुरक्षा या विस्फोटक विभाग या कार्गो के स्टोरेज के संबंध से संबंधित

द्वारा जारी किए जा सकते हैं। सभी नियमों व विनियमों को पालन करेगा।

6. (i) एक लाइसेंस के तहत संग्रहीत कार्गो लाइसेंसधारी के पूरे जोखिम और जिम्मेदारी पर होगा। लाइसेंसधारी दूसरों द्वारा आवंटित क्षेत्र पर भंडारित कार्गो की सुरक्षा और ऐसे स्थान की अनाधिकृत कब्जे से की रक्षा के लिए स्वयं अपना चौकीदार पदच्युत करेगा।

(ii) लाइसेंसधारी आवंटित भूमि/कवरड क्षेत्र और इसके आसपास साफ, स्वच्छ और उचित स्वच्छता स्थिति रखने के लिए स्वयं अपनी व्यवस्था करेगा।

7. प्रचलित एसओआर (मद संख्या 1(सी)) अनुसार लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के अलावा, लाइसेंसधारी यदि आवश्यकता है और लागू अनुसार नगर निगम कर का भुगतान करेगा।

8. अवधि जिसके लिए लाइसेंस डीआईजेड के अंदर प्रदान दिया गया है के लिए लाइसेंस शुल्क के बराबर प्रतिभूतित जमा वसूला जाएगा। प्रतिभूति जमा लीज/लाइसेंस अवधि की पूरा होने के बाद वापसीयोग्य है (बिना किसी ब्याज के) देय/नुकसान के समायोजन का विषय है।

9. लाइसेंसधारी द्वारा भूमि ओर रेल पटरियों का अतिक्रमण और अनाधिकृत कब्जा पोर्ट संपत्तियों के लिए नुकसान के कारण के संशोधन की लागत के अलावा निर्धारित लाइसेंस शुल्क से इस गुणा की दर पर जुर्माने के भुगतान करने के दायित्व में शामिल होगा। यदि लाइसेंसधारी ऐसा करने की सूचना के बाद अतिक्रमण क्षेत्र से कार्गो को हटाने में असफल रहता है। कार्गो लाइसेंसधारी के जोखिम और लागत पर पोर्ट द्वारा कहीं ओर हटाया जाएगा और सामान्य दर से दस गुणा की दर पर दंडात्मक लाइसेंस शुल्क हटाए गए कार्गो द्वारा घेरी गई जगह पर वसूला जाएगा।

10. लाइसेंस की समापन/समाप्ति/निर्णय/जब्त की के बाद यदि लाइसेंसधारी यह अनाधिकृत कब्जा जारी रखता है तो लाइसेंसधारी खाली जगह प्राप्त करने तक निम्न दरों पर गलत प्रयोग और व्यापार के लिए जुर्माने का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

पहले 30 दिन

प्रति प्रचलित एसओआर के अनुसार दर का 3 गुना

अगले 30 दिन

प्रति प्रचलित एसओआर के अनुसार दर का 5 गुना

60 दिनों से ऊपर अनाधिकृत कब्जा जारी रहने पर प्रति प्रचलित एसओआर के अनुसार दर का 10 गुना

11. (i) लाइसेंस शुल्क का चाहे मांग हो या नहीं भुगतान की निम्न देय तिथियों अनुसार भुगतान किया जाएगा:-

(क). 30 दिन से अधिक लाइसेंस की अवधि के लिए और जो 30 दिनों का सही गुणज है: प्रत्येक 30 दिनों की समाप्ति के सात दिनों के भीतर।

(ख) 30 दिन से अधिक लाइसेंस की अवधि के लिए लेकिन 30 दिनों के सही गुणज पर नहीं:

(i) कुल लाइसेंस अवधि के हिस्से के लिए जो 30 दिनों का सही गुणज है: उपरोक्त के समान

(ii) लाइसेंस की शेष अवधि के लिए जो 30 दिनों के सही गुणज पर नहीं शेष अवधि की समाप्ति के सात दिनों के भीतर।

(ग) 30 दिन से भी कम समय की लाइसेंस की अवधि के लिए: उपरोक्त दर रु. में के समान

(ii) ऊपर निर्दिष्ट भुगतान की नियत तिथि से एक माह के भीतर किराया/लाइसेंस शुल्क/मुआवजा और अन्य देय के भुगतान में चूक के मामले में, ब्याज @ 14.25% भुगतान की देय तिथि से बकाया देय राशि पर शुल्क लिया जाएगा।

12. लाइसेंस शुल्क भूमि का कब्जा सौंपने की तिथि से लिया जाएगा और भूमि के वास्तविक क्षेत्र के कब्जे का लाइसेंसधारी द्वारा सीमांकन पर किया जाएगा।

13. लाइसेंसधारी केओपीटी संपत्तियों के लिए किसी क्षति का कारण नहीं होगा। हालांकि, यदि कोई नुकसान होता है, लाइसेंसधारी केओपीटी की संतुष्टि के लिए अपने स्वयं की लागत और प्रबंध पर सामान के हर्जाना भरने का उत्तरदायी होगा।

14. एकल लाइसेंसधारक के लिए लाइसेंस प्राप्त करने का न्यूनतम क्षेत्र 1000 वर्ग मीटर होगा।

.....